

संख्या-194/2016/521ई(1)/23-11-2015-1/2(150)/2015

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ०प्र० लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11

लखनऊ : दिनांक 06 जुलाई, 2016

विषय:- जनपद कासगंज मुख्यालय को चार लेन मार्ग से जोड़ने हेतु जनपद मुख्यालय एटा (एन०एच०-91 किमी०-202) से एटा कासगंज मार्ग (अन्य जिला मार्ग) एवं बरेली मथुरा मार्ग (राज्य मार्ग-33) का कासगंज जिला मुख्यालय तक चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (लम्बाई 40.80 कि०मी०) के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु०-1), लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांक-3046नि०/103-01नि०/2015-16, दिनांक 04-08-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद कासगंज मुख्यालय को चार लेन मार्ग से जोड़ने हेतु जनपद मुख्यालय एटा (एन०एच०-91 किमी०-202) से एटा कासगंज मार्ग (अन्य जिला मार्ग) एवं बरेली मथुरा मार्ग (राज्य मार्ग-33) का कासगंज जिला मुख्यालय तक चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (लम्बाई 40.80 कि०मी०) की आंकलित लागत रु० 32045.81 लाख (रूपये तीन अरब बीस करोड़ पैतालीस लाख इक्यासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये लागत के सापेक्ष रु० 4807.00 लाख (रूपये अड़तालीस करोड़ सात लाख मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तों/ प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र० सं०	जनपद	कार्य का नाम	आंकलित लागत	वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवंटन	अनुदान सं०-58 का अंश	अनुदान सं०-83 का अंश
1	2	3	4	5	6	7
1	एटा एवं कासगंज	एटा कासगंज मार्ग (अन्य जिला मार्ग) एवं बरेली मथुरा मार्ग (राज्य मार्ग सं०-33) का कासगंज जिला मुख्यालय तक 04 लेन तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (लम्बाई 40.80 किमी०)	32045.81	4807.00 53.22	3787.00 2015 114 542.04 2117.20	1020.00

- (1) उपरोक्त तालिका में अंकित निर्माण कार्य उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उस पर कोई व्ययभार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्दर कार्य का विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति न प्रदान कर दी जाय। निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत कार्य पूर्व से किसी भी विभाग द्वारा किसी अन्य योजना में स्वीकृत तो नहीं है।
- (2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
- (3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता की होगी तथा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।
- (4) प्रश्नगत स्वीकृति परिव्यय के अन्तर्गत ही निर्गत की जायेगी।
- (5) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/ पी0एल0ए0 में न रखी जाय।
- (6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- (8) प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।
- (9) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ना, सड़क की लम्बाई एवं चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में परिवर्तन एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- (10) प्रायोजना के सम्बन्ध में समस्त वैधानिक अनापत्तियों तथा वन एवं पर्यावरण सम्बन्धी अनापत्ति सक्षम वैधानिक प्राधिकारी से प्राप्त करने तथा इस सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (11) प्रयोजनान्तर्गत 17 नग धार्मिक स्थलों को शिफ्ट किये जाने का प्राविधान किया गया है। यह संवेदनशील बिन्दु है। अतः विभाग द्वारा कानून व्यवस्था एवं इस बिन्दु से संबंधित विधिक पहलुओं के संबंध में सुविचारित मत स्थिर किये जाने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

- (12) प्रायोजनान्तर्गत भूमि अध्याप्ति 16.60 हेक्टेयर हेतु लागत प्रस्तावित की गयी है। अतः भूमि अध्याप्ति न्यूनतम आवश्यकतानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर विभाग द्वारा अपने उत्तरदायित्व पर किया जायेगा।
- (13) प्रायोजना में दो रेलवे अण्डर पास का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, अतः इस सम्बन्ध में रेलवे विभाग की अनापत्ति प्राप्त की जाय तथा इसकी लागत में रेलवे विभाग की सहभागिता प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।
- (14) प्रायोजना में लघु सेतु की लागत एलिवेशन एरिया दरों पर एवं आर0सी0सी0 कलवर्ट की लागत वर्ष 2004 की दरों पर प्रस्तावित की गयी है। अतः इन कार्यमदों का सम्बन्धित जनपद के शिड्यूल आफ रेट्स पर विस्तृत आगणन का गठन किया जाय तथा इस गठित आगणन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।
- (15) प्रायोजना में हैण्डपम्प, इलेक्ट्रिक पोल व ट्रांसफार्मर की शिफ्टिंग हेतु एकमुश्त लागत प्रस्तावित की गयी है, अतः इन कार्यों से सम्बन्धित विभागों से प्राप्त विस्तृत आगणन के आधार पर वास्तविक धनराशि देय होगी।
- (16) प्रायोजना में पेड़ों की कटिंग एवं पेड़ लगाये जाने का प्राविधान किया गया है। अतः प्रशासकीय विभाग द्वारा वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (17) प्रश्नगत परियोजना में अवस्थित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत भारत सरकार से पूर्वानुमति की प्राप्त की जाए।
- (18) यदि यह भूमि वन जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क में अवस्थित पायी जाती है, तो राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड, नई दिल्ली के साथ-साथ मा0 सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर ली जाय।
- (19) इसके अतिरिक्त यदि प्रश्नगत क्षेत्र वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क की सीमा से 10.00 किमी0 के अंतर्गत अवस्थित है, तब राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड, नई दिल्ली से भी अनुमति प्राप्त की जाए।
- (20) गैर वन भूमि/कृषि भूमि पर अवस्थित वृक्षों के पातन हेतु वृक्ष (संरक्षण) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत प्रभागीय वन अधिकारी से पातन की अनुमति प्राप्त की जाए।
- (21) टी0टी0जेड0 क्षेत्र में यदि वृक्षों का पातन निहित है, तो मा0 उच्चतम न्यायालय से इसकी अनुमति प्राप्त की जाए।
- (22) कार्य की लागत में अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही नियमानुसार जमा की जायेगी।
- (23) लेबर सेंस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
- (24) मूल्य हास निधि चार्जज की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।
- (25) प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-58 में लेखाशीर्षक-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-04-जिला तथा अन्य सड़के-337-सड़क निर्माण कार्य-13-एकमुश्त व्यवस्था-1341-जिला मुख्यालयों को 04 लेन से जोड़े जाने हेतु मार्गों का निर्माण/चौड़ीकरण/सुदृढीकरण के नये कार्य-24-वृहत निर्माण कार्य एवं अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5054-सड़को तथा

सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-04-जिला तथा अन्य सड़के-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-25-जिला मुख्यालय को 04 लेन मार्ग से जोड़े जाने हेतु मार्गों का निर्माण/चौड़ीकरण/सुदृढीकरण के नये कार्य हेतु-24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा।

- 2- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप सं0-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22-03-2016 के प्राविधानों/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 3- अनुदान संख्या-83 से स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
- 4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-यू0ओ0-ई-8-1599/दस/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2016 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेश प्रताप सिंह)

उप सचिव।

संख्या-194/2016/521ई(1)/23-11-2015-1/2(150)/2015-तेद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम (निर्माण) उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- मण्डलायुक्त, आगरा मण्डल/जिलाधिकारी, एटा/कासगंज।
- 3- मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
- 4- मुख्य अभियन्ता (आगरा क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग, आगरा।
- 5- वित्त व्यय (नियंत्रण) अनु0-8/वित्त आय-व्ययक अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
- 6- समाज कल्याण विभाग, (बजट प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन।
- 7- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
- 8- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 9- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
- 10- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 11- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र, लखनऊ।
- 12- निजी सचिव, मा0 मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
- 13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)

उप सचिव।